

महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या-5803/2025/002-comp no. 1954407

प्रेषक,
राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 दिसंबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों) में अवस्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास हेतु 'वंदन' योजना के अन्तर्गत प्रथम आंशिक कार्ययोजना के रूप में अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत 07 जनपदों की 09 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि **रू0-1323.89 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रू0-662.00 लाख (रूपये छह करोड़ बासठ लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की अनुमति प्रदान करती है:-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय एवं स्थल का नाम	आगणन की धनराशि (रूपये लाख में)	एस0ओ0पी0 के अनुसार अनुमन्य कार्य का विवरण	आकलित धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (रूलाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाराबंकी	1. नगर पंचायत देवा, बाराबंकी में अवस्थित देवा शरीफ में अवस्थापना सुविधाओं का		सम्पर्क मार्ग हेतु नाली सहित 07 सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	169.27	100.00
				शेड व प्रकाश व्यवस्था का कार्य	26.73	
				वाटर कियोस्क	4.00	

		कार्य	207.00	योग-	200.00	100.00
		2. नगर पंचायत हैदरगढ़, बाराबंकी में अवस्थित श्री शीतला माता मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं का कार्य		आगन्तुक हॉल/विश्रामालय का निर्माण कार्य	16.68	82.00
				शेड का निर्माण कार्य	20.09	
				इण्टरलॉकिंग निर्माण	61.59	
				सम्पर्क मार्ग हेतु नाली सहित सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	22.22	
				प्रकाश व्यवस्था	17.00	
				बेंच आपूर्ति एवं वाटर कियोस्क	2.52	
				सौंदर्यीकरण कार्य (मंदिर परिसर में टाइल्स एवं जल निकासी व्यवस्था)	23.65	
		186.36	योग-	163.75	82.00	
		3. नगर पंचायत दरियाबाद, बाराबंकी में अवस्थित श्री शीतला माता मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं का कार्य		हॉल/विश्रामालय का निर्माण कार्य	64.22	83.00
				शेड का निर्माण कार्य	15.21	
				प्रकाश व्यवस्था	15.29	
				परिक्रमा पथ का निर्माण एवं अन्य सौंदर्यीकरण कार्य	67.95	
				वाटर कियोस्क	3.92	
		199.98	योग-	166.59	83.00	
2.	ललितपुर	1. नगर पंचायत पाली, ललितपुर में अवस्थित नीलकण्ठेश्वर मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य		शेड का निर्माण कार्य	23.78	84.00
				हाल/संत आश्रय स्थल का निर्माण कार्य	76.1	
				पर्यटक सूचना केन्द्र	6.46	
				वाटर कियोस्क	5.73	
				प्रकाश व्यवस्था	18.3	
				बैठक व्यवस्था सहित सड़क का चौड़ीकरण	37.5	
		199.73	योग-	167.87	84.00	

3.	औरैया	1. नगर पंचायत दिबियापुर, औरैया में अवस्थित प्राचीन हनुमान मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं का कार्य		02 तल के 02 हाल/विश्रामालय का निर्माण कार्य	154.69	99.00
				प्रकाश व्यवस्था	6.29	
				मन्दिर परिसर में इण्टरलॉकिंग, बेंच, फ्लोरिंग एवं अन्य सौंदर्यीकरण कार्य	37.50	
			198.48	योग-	198.48	99.00
4.	जालौन	1. नगर पंचायत ऊमरी, जालौन में अवस्थित श्री ठाकुर जी मंदिर, श्री शंकरजी (क्षमापुरी) मंदिर, देवी मण्डप (बड़ी माता मन्दिर) एवं श्री रामजानकी मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य		04 मन्दिरों में 6 शेड का निर्माण कार्य	135.84	72.00
				प्रकाश व्यवस्था	7.5	
			177.97	योग-	143.34	72.00
5.	लखीमपुर खीरी	1. नगर पालिका परिषद पलियाकलाँ, लखीमपुर खीरी में अवस्थित शिव मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं का कार्य		शेड एवं विश्रामालय का निर्माण कार्य	25.56	38.00
				मन्दिर परिसर में सी0सी0 फ्लोरिंग एवं बेच स्थापना का कार्य	40.46	
				वाटर कियोस्क	2.00	
				प्रकाश व्यवस्था	8.00	
			89.60	योग-	76.02	38.00
6.	बुलन्द शहर	1. नगर पालिका परिषद डिबाई, बुलन्दशहर में अवस्थित खेडेश्वर महांदेव मन्दिर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य		शेड का निर्माण कार्य	35.56	42.00
				हॉल/विश्रामालय का निर्माण कार्य	37.5	
				वाटर कियोस्क	3.32	
				प्रकाश व्यवस्था	7.44	
			83.82	योग-	83.82	42.00

7.	फतेहपुर	1. नगर पालिका परिषद बिन्दकी, फतेहपुर में अवस्थित श्री हनुमान मन्दिर, रामलीला मैदान में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य	02 विश्रामालय का निर्माण कार्य	86.83	62.00	
			सम्पर्क मार्ग हेतु सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	12.62		
			इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य	22.06		
			बेंच एवं वाटर कियोस्क	2.51		
			124.02	योग-	124.02	62.00
		09 Project	1466.96	महायोग-	1323.89	662.00

(i) उक्त स्वीकृतियाँ वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्गत की जा रही हैं।

(ii) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जिलाधिकारी को सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि को संबंधित निकाय को प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के कम से कम 75 प्रतिशत का उपयोग/व्यय हो जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-2746/9-1-2025-1738288, दिनांक 04.07.2025 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में संबंधित निकाय द्वारा सक्षम तकनीकी अधिकारी के गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ कराये गये कार्य से संबंधित फोटोग्राफ एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा अवशेष द्वितीय किश्त की माँग का प्रस्ताव शासन को अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जाएगा। तदक्रम में शासन द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

(iii) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(iv) उक्त परियोजनान्तर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप अनुमन्य कार्यों को ही स्वीकृति किया गया है। जो कार्य अनुमन्य है, उन्हीं कार्यों को कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी का होगा।

(v) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय की होगी तथा संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(vi) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(vii) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। उक्त मद में बिना शासन की अनुमति के व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ix) संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय, यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृति किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(x) संबंधित जिलाधिकारी एवं नगरीय निकाय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(xi) वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेशों के क्रम में कराये गये कार्यों का नियमानुसार गुणवत्ता परीक्षण करने के उपरान्त संबंधित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संबंधित निकायों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(xii) निकाय स्तर पर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण कराये जाने का दायित्व संबंधित अधिशासी अधिकारी का होगा। संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यों के विषयगत योजना से संबंधित डायरी तैयार कर दिन प्रति दिन के कार्यों का विवरण दर्ज कराते हुए नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा।

(xiii) जिला स्तर पर विषयगत योजना हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा अपने जिले से संबंधित समस्त योजनाओं का त्रैमासिक रूप से कराये गये कार्यों का निरीक्षण कराते हुए गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(xiv) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(xv) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च 2025 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xvi) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की

संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
 (xvii) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
 (xviii) इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,62,00,000 (रुपये छह करोड़ बासठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808001100 प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान मानक मद 35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-162-X-2025-26, दिनांक- 19 दिसंबर, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by भवदीय,
 RAJESHWARI PRASAD
 Date: 24-12-2025 (राजेश्वरी प्रसाद)
 17:12:28 उप सचिव।

संख्या- 5803(1)/2025/002-comp no. 1954407, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त, संबंधित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी/ललितपुर/औरैया/जालौन/लखीमपुर खीरी/बुलन्दशहर/फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (शहरी) लखनऊ।
- 6- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) उ०प्र० लखनऊ।
- 7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 8- समस्त संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- 9- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- 10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9।
- 12- कम्प्यूटर सेल को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 13- गार्ड बुक।

Digitally signed by
 Kripa Shanker Jaisvar
 Date: 24-12-2025
 18:05:25

आज्ञा से,
 (कृपाशंकर जैसवार)
 अनु सचिव।